

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़  
(पीलासीन अधिकारी - श्री प्रमोदकुमार सिधव आर.ए.एच.)

मिसल नं० 835/प्रार्थना-पत्र/2019  
दायरे 14/11/2019

उनवान

मोहनबाई जोजे छीतरलाल पुत्री गोपाल जाति गूर्जर निवासी बाडिया  
तहसील खानपुर

- प्रार्थीया

बनाम्

राजस्थान राज्य जयें तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत 136 एल.आर.एक्ट


उपस्थित:- श्री गिरधारीलाल नागर एडवोकेट - प्रार्थी  
पेरोकार सरकार - अप्रार्थी

निर्णय

दिनांक 06/02/2020

प्रार्थना-पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रार्थीया ने जयें अधिवक्ता एक प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम सारोला खुर्द तहसील खानपुर की नया खाता संख्या 185 खसरा नम्बर 601/776 रकबा 01.6187 हैक्टर लगानी 2.75 रूपये स्थित है। जमाबन्दी ग्राम सारोला खुर्द सम्वत् 2076 से 2079 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया के कब्जे खाते एवं काश्त की आराजी ग्राम सारोला खुर्द में स्थित है। इस आराजी में प्रार्थीया का नाम मोहन बाई जोजे नन्दकिशोर दर्ज है जो गलत है प्रार्थीया का सही नाम मोहन बाई पत्नी छीतरलाल है। आराजी के रेकार्ड संदारण में प्रार्थीया के पति का नाम छीतरलाल के स्थान पर नन्दकिशोर दर्ज हो गया है जो गलत है प्रार्थीया के पति का सही नाम छीतरलाल है जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया अपने पति के सही नाम के संबंध में अपना आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व अपने पति का पहचान पत्र, अपने पति की मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत लिमी का प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत किया। प्रार्थीया ने खाते की जानकारी करने पर अपने खाते में अपने पति का नाम गलत दर्ज होने की सूचना मिली, प्रार्थीया को सूचना मिलते ही सक्षम न्यायालय में अविलम्ब नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया की आराजी ग्राम सारोला खुर्द तहसील खानपुर नया खाता संख्या

[1]

  
उपखण्ड अधिकारी  
खानपुर जिला झालावाड़  
(राजस्थान)


185 खसरा नम्बर 601/776 रकबा 01.6187 हैक्टर आराजी में प्रार्थीया के पति मोहन बाई जोजे नन्दकिशोर के स्थान पर मोहन बाई जोजे छीतरलाल दर्ज कर तदनुसार रेकार्ड दुरुस्त करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट के अन्तर्गत भी है, प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार किया है कि प्रार्थीया का नाम मोहनबाई जोजे नन्दकिशोर के स्थान पर मोहनबाई जोजे छीतरलाल गूर्जर सा बाडिया मजरा दुरुस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रार्थना-पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थीया ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि प्रार्थीया का नाम मोहनबाई जोजे नन्दकिशोर के स्थान पर मोहनबाई जोजे छीतरलाल गूर्जर सा बाडिया मजरा दुरुस्त किया जावे। पेरोकार सरकार को प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं है।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता की बहस पर मनन किया ग्राम सारोला खुर्द तहसील खानपुर जमाबन्दी संवत 2076-2079 नया खाता संख्या 185 खसरा नम्बर 601/776 रकबा 01.6187 हैक्टर आराजी में प्रार्थीया के पति मोहन बाई जोजे नन्दकिशोर दर्ज रेकार्ड है। अर्थात् इस जमाबन्दी में प्रार्थीया के पति का नाम नन्दकिशोर दर्ज है, जबकि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत लीमी दिनांक 12.10.2019, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, उसके पति का पहचान पत्र, उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, वोटर लिस्ट की प्रति में उसके पति का नाम छीतरलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत लीमी ने अपने प्रमाण पत्र दिनांक 19.10.2019 से यह अवगत कराया है कि मोहन बाई जोजे नन्दकिशोर व मोहन बाई जोजे छीतरलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है ऐसे में न्यायहित में प्रार्थीया के पति का नाम राजस्व रेकार्ड में दुरुस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र, प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सारोला खुर्द तहसील खानपुर की जमाबन्दी संवत 2076-2079 नया खाता संख्या 185 खसरा नम्बर 601/776 रकबा 01.6187 हैक्टर आराजी में प्रार्थीया के पति मोहनबाई जोजे नन्दकिशोर के स्थान पर मोहनबाई जोजे छीतरलाल गूर्जर सा. बाडिया मजरा तहसील खानपुर शुद्ध किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद हो। प्रार्थना-पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो।

  
उपमहान्द अधिकारी  
खानपुर जिला इमलावाइ  
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[2]

  
उपमहान्द अधिकारी  
खानपुर जिला इमलावाइ  
(राजस्थान)

